संख्या–1547/60–1–14–1/13(46)/14

प्रेषक,

रेणुका कुमार ,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 25 अगस्त, 2014

विषयः– आई0सी0पी0एस0 योजना के अन्तर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारी (जिला बाल संरक्षण अधिकारी) को जनपद में भ्रमण एवं आवश्यक कार्यो के निपटाने हेतु पेट्रोल/वाहन किराया मद में धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–599/निदे0म0क0/प्रोबे0/2014–15, दिनांक 222.07.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद आगरा, मथुरा, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर नगर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, गोण्डा, फैजाबाद, बरेली, बस्ती, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर में रू0 30,000/– तथा शेष अन्य जनपदों में रू0 25,000/– पेट्रोल/वाहन किराया मद में व्यय किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उपयुर्क्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–4934/60– 1–10–1/13(71)/2006, दिनांक 03.12.2010 के द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारियों को आई0सी0पी0एस0 योजना के अन्तर्गत जिला बाल संरक्षण अधिकारियों के रूप में भी नामित किया गया है। अतः आई0सी0पी0एस0 योजना के अन्तर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारियों/जिला बाल संरक्षण अधिकारियों को जनपद में महत्वपूर्ण विभागीय कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्यवन हेतु वाहन का उपयोग किये जाने हेतु पेट्रोल/वाहन किराया मद में निम्नानुसार धनराशि व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) मण्डल मुख्यालयों पर रू0 30,000/– प्रतिमाह।
(2) शेष अन्य जनपदों में रू0 25,000/– प्रतिमाह।

भवदीय,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1547/60–1–14, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी (जिला बाल संरक्षण अधिकारी), उ0प्र0।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।